"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014—ज्येष्ठ 16, शक 1936

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-161/2008/25-1 (पार्ट). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 14 के कॉलम (4) में, अंक तथा चिन्ह "98%" अन्त:स्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 14 के कॉलम (5) में, अंक तथा चिन्ह "100%" के स्थान पर अंक तथा चिन्ह "2%" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 10 के कॉलम (2) में, शब्द "सहायक ग्रंथपाल (आदर्श उ. मा. वि.)" के पूर्व शब्द तथा चिन्ह "ग्रंथपाल/" अन्त:स्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2014

क्रमांक एफ 1-161/2008/25-1 (पार्ट). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th June 2014

NOTIFICATION

No.F1-161/2008/25-1(Part). — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Welfare Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial) Service Rules, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In column (4) of serial number 14 of Schedule-II, the figure and symbol "98%" shall be inserted.

2. In column (5) of serial number 14 of Schedule-II, for the figure and symbol "100%" the figure and symbol "2%" shall be substituted.

3. In column (2) of serial number 10 of Schedule-III, before the words "Assistant Librarian (Model HSS)" the word and symbol "Librarian/" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. KUNJAM, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.